

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6-7, एवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर-302015
फोन नम्बर 0141-2973804, 2988946 Website:- www.rajasthanparamedicalcouncil.org

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में सत्र 2019-20 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की ऑनलाइन काउन्सिलिंग के संबंध में संबद्ध पैरामेडिकल संस्थानों/कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/दिशा-निर्देश

सभी पैरामेडिकल संस्थान/कॉलेज संचालकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल के अध्यक्षीन पैरामेडिकल संस्थानों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु काउन्सिलिंग के पश्चात उनके संस्थान/कॉलेज में छात्र आवंटन होने के उपरान्त रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग अंकित करने से पूर्व इन निर्देशों की पालना करावें-

1. रिपोर्टिंग करनेवाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच कर यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता, अर्थात् 12वीं कक्षा जीवविज्ञान/गणित, रसायन शास्त्र व भौतिकी विषयों (Physics, Chemistry, Biology/Maths) के साथ उत्तीर्ण हो। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इस परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक 45 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है।
2. यदि अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड से यह न्यूनतम अर्हता, 12वीं कक्षा जीवविज्ञान/गणित, रसायन शास्त्र व भौतिकी विषयों (Physics, Chemistry, Biology/Maths) के साथ उत्तीर्ण है, तो वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अर्जित यह अर्हता (12वीं परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं परीक्षा के समकक्ष है। विभिन्न बोर्ड की समकक्षता की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें- [समकक्षता सूची](#)।
3. कृपया यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थी द्वारा 12वीं उत्तीर्ण परीक्षा का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की उच्च माध्यमिक/हायर सैकण्डरी परीक्षा की समकक्षता सूची में अंकित नाम से अक्षरशः मिलान करता हो। परीक्षा के नाम में कोई भी अन्तर होने पर समकक्षता स्थापित नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की जॉइनिंग स्वीकार नहीं की जाकर कारण सहित कौंसिल को उसी दिन सूचित करें।
4. संस्थान/कॉलेज में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्टिंग/जॉइनिंग करते समय समस्त दस्तावेजात की पूर्ण गहनता से जाँच करने के उपरान्त ही अभ्यर्थी की संस्थान/कॉलेज में जॉइनिंग स्वीकार की जाकर इसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करें, ताकि अभ्यर्थी को भी उसकी जॉइनिंग के संबंध में उसके पोर्टल के माध्यम से यह सूचना उपलब्ध हो सके कि उसकी जॉइनिंग को संबंधित संस्थान/कॉलेज द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
5. संस्थान/कॉलेज में सीट आवंटन किये जाने तथा अभ्यर्थी की जॉइनिंग स्वीकार किये जाने तथा फीस जमा कराये जाने के उपरान्त अध्ययन के दौरान भी किसी भी समय यह ज्ञात होने पर कि अभ्यर्थी 12वीं जीवविज्ञान/गणित, रसायन शास्त्र व भौतिकी विषयों के साथ न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करता है अथवा उसकी अर्हक परीक्षा की समकक्षता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक/हायर सैकण्डरी परीक्षा के समकक्ष नहीं है, तो उसकी अभ्यर्थिता उसी समय रद्द कर दी जावेगी तथा इसके फलस्वरूप संस्थान/कॉलेज द्वारा फीस व अन्य वसूली गई राशि का पुनःसंदाय (Refund) संबंधित अभ्यर्थी को किया जायेगा तथा इस संबंध में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा शासित के रूप में रु. 10000 (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण वसूल की जायेगी। बाद में

इस सीट के खाली रहने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थान/कॉलेज की होगी, अतः समस्त संस्थान/कॉलेजों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग/जॉइनिंग देने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के दस्तावेजात की गहनता से जाँच कर पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही जॉइनिंग स्वीकार करें। ऐसा नहीं करने पर इस संबंध में अभ्यर्थी को होने वाली किसी भी प्रकार की आर्थिक/मानसिक/समय की क्षति के लिए संबंधित संस्थान/कॉलेज जिम्मेदार होगा तथा इसमें राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में कोई भी अभ्यर्थी/अभिभावक किसी भी न्यायालय में राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल के विरुद्ध किसी भी अनुतोष के पात्र नहीं होंगे, किन्तु संबंधित संस्थान/कॉलेज के विरुद्ध, यदि अभ्यर्थी चाहे, तो नियमानुसार अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

6. संस्थान/कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी से अधिकतम निम्न शुल्क प्राप्त किया जा सकता है—
 - A. Tuition Fees – Rs. 35000 per year
 - B. Caution money – Rs. 5000 (once in Course duration and refundable after completion of course)
 - C. Uniform Fee – Rs. 1500 (Once in Course duration)
7. संबंधित अभ्यर्थी को समस्त प्रकार की फीस जमा करवाये जाने पर संस्थान/कॉलेज को तत्समय ही इसकी रसीद जारी करना होगी।
8. अभ्यर्थी द्वारा उन्हें आवंटित संस्थान/कॉलेज में निम्नांकित मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु जमा करवाये जायेंगे —
 - A. 10वीं अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र
 - B. 12वीं (Physics, Chemistry, Biology/Maths) अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र
 - C. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का समकक्षता प्रमाण पत्र (यदि यह अनुसूची में अंकित नहीं है)
 - D. आव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate)
 - E. मूल निवास प्रमाण पत्र
 - F. जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना स्वीकार्य नहीं है)
 - G. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र
9. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संस्थान/कॉलेज द्वारा 15 दिवस की अवधि में करवाया जाकर कौंसिल को भिजवाया जाना आवश्यक होगा।
10. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा आयोजित अन्तिम ऑनलाइन काउन्सिलिंग के पश्चात संबंधित संस्थान/कॉलेज द्वारा समस्त अभ्यर्थियों के मूल आव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) आवश्यक रूप से कौंसिल को प्रेषित किये जायेंगे।
11. प्रशिक्षणार्थियों हेतु ड्रेस कोड— पुरुष— सफेद पैन्ट शर्ट व एप्रन (एप्रन की पॉकेट पर राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल का लोगो होगा), महिला— सफेद सलवार सूट व एप्रन (एप्रन की पॉकेट पर राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल का लोगो होगा)
12. सत्र 2019-20 का नियमित प्रशिक्षण प्रथम काउन्सिलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग दिनांक के 15 दिवस बाद की दिनांक को प्रारम्भ होगा। प्रशिक्षण समय ग्रीष्मकाल में प्रातः 8.00 बजे से तथा शीतकाल में प्रातः 9.00 बजे से रहेगा। सभी संस्थान/कॉलेज एकेडमिक कलेण्डर की पालना सुनिश्चित करेंगे। एकेडमिक कलेण्डर की प्रति के लिए यहाँ क्लिक करें— एकेडमिक कलेण्डर।